न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
श्री अनूप सिंह (आरटीएस)
दिनांक–30.9.19

मि.न.–79 / 19

सरकार बनाम राजेन्द्र वगै0
निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायलान उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का खडब ने एक रिर्पोट इस आशय कि पेश की है कि सम्वत 2076 में वाके ग्राम खडब तहसील कोटपूतली के ख0 न0 1927रकबा 18.20है0 किस्म जमीन बंजड मेंसे 1.00 है0 पर राजेन्द्र , बाबूलाल पुत्रान कैलाश चन्द जाति मीणा निवासी खडब तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने फसल बाजरा बुआई कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायलान को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गये । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायलान उपस्थित आये लेकिन जबाव पेश नहीं किया। जिसके आधार पर गैरसायलान को अनुतोष दिया जा सके। हमने पत्रावली में संलग्न दस्तावेज रिपोर्ट पटवारी पर गौर किया तो पटवारी हल्का रिपोर्ट के अनुसार गैरसायलान का अतिक्रमण सिद्व होता है। अतः गैर सायलान के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः गैरसायलान राजेन्द्र , बाबूलाल पुत्र कैलाशचन्द जाति मीणा निवासी खडब तहसील कोटपूतली को वाके ग्राम खडब के खसरा नंबर 1927 रकबा 18.20 है0 किस्म बंजड में से 1.00 है0 पर अतिकमी घोषित किया जाकर उक्त आराजीयात पर बोई गई बाजरे की फसल को निलाम करते हुए गैरसायलान को भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशि 4.00रू का पचास गुणा 200 रू अर्थदण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है। भू– अभिलेख निरीक्षक , पटवारी हल्का को वास्ते फसल निलामी, बेदखली ,पैलन्टी वसूली तहरीर जारी हो, मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखील दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 30.9.19 को सरे इजलास सुनाया गया ।

मद 300 19-20 के रा० ले० 4 के पृष्ठ संख्या 54 पर 200 रुपये कायम किये गये।

राजस्व लेखाकार कोटपूतली

तहसीलदार कोटपूतली (जयपुर)